


21. 9. 22 वकील प्रार्थी 250 / वकील प्रार्थी
को अप्रार्थीगण की तल्की हेतु अनेक
अवलम्व दिये गये उसके बावजूद भी तल्की
नोटिस पेरा नहीं किये। इससे प्रतीत
होता है कि प्रार्थी (अधिकृत) प्रकरण
में अनावश्यक विलम्ब कर रहे हैं
अतः तल्की के अभाव में प्रकरण
अन्तर्गत आदेश 9 नियम 5 CPC
के अन्तर्गत खारिज किया जाता है
पत्रावली केसल सुभान ही नम्वर
अंकन हो वाखिल वकल हो।


सहायक कलेक्टर
कोटपूतली (जयपुर)